

**भाग—2**  
**(संम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)**

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>7—परियोजना/स्कीम का नाम</b>   |   | जनपद—प्रयागराज में साउथ ईस्ट यू०पी० पावर ड्रान्समिशन कम्पनी लि०, लखनऊ द्वारा प्रस्तावित 765 के०वी० सिंगल सर्किट मैनपुरी—बारा पारेण लाईन सर्किट—१ के निर्माण में प्रभावित 14.4106 हे० आरक्षित वन भूमि एवं 0.4288 हे० संरक्षित वन भूमि कुल 14.8394 हे० वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2460 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। |
| (क) राज्य/संघ शासित क्षेत्र  | उत्तर प्रदेश  |   |
| (ख) ज़िला  | प्रयागराज   |   |
| (ग) वन प्रभाग  | सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज  |   |
| (घ) वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे०में)  | 14.8394 हे०   |   |
| (ड) वन की कानूनी स्थिति  | आरक्षित (14.4106 हे०) एवं संरक्षित (0.4288 हे०)   |   |
| (च) हरियाली का घनत्व   | 0.1   |   |
| (छ) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिणामा (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ०ए०एल०—२ मीटर पर परिणामा और एफ०आर०एल०—४ मीटर भी संलग्न किये जाए)                       | संलग्न है।  |   |
| (ज) भूक्षण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।   | सामान्य   |   |
| (झ) वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमनित दूरी  | वन भूमि   |   |
| (अ) क्या फार्म, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव, अभ्यारण, जैव मण्डल रिजर्व वाद, रिजर्व हाथी कारीबोर आदि का भाग है। (यदि हाँ क्षेत्र का व्यौरा और प्रमुख वन जीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबंधित व्यौरा दें।                   | नहीं  |   |
| (ट) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती हैं यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी व्यौरा दें।   | नहीं  |   |
| (ठ) क्या कोई सुरक्षित पुरातात्वीय/पारम्परिक स्थल/स्थान प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी व्यौरा सक्षम प्राधिकरण अनापत्ति प्रमाण—पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो दें। | नहीं  |   |
| 8—प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग—१ कालम २, में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जाँचे गये विकल्पों के व्यौरा के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।                  | 14.4106 हे० आरक्षित वन भूमि एवं 0.4288 हे० संरक्षित वन भूमि परियोजना के लिए अपरिहार्य एवं न्यूनतम है। |   |
| 9—क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का व्यौरा दें क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।                 | नहीं  |   |
| 10—प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा  | —   |   |
| क— प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिधारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस—पास के वन से इसकी दूरी, भू—खण्डों की संख्या प्रत्येक भू—खण्ड का आकार  | संलग्न है।  |   |
| ख— प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिधारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस—पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप   | संलग्न है।  |   |

|  |  |
|--|--|
| ग— रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि   | —  |
| घ— प्रतिपूरक वनीकरण के लिये कुल वित्तीय परिव्यय।   | रुपये— 1,64,80,772=(CA की धनराशि 1,32,80,596+औषधीय एवं बौने पौधें की धनराशि 32,00,176) |
| ङ— प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण—पत्र (सम्बंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय) | संलग्न है।   |
| 11— उप वन संरक्षक की स्थल निरेक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम—7 (ट, ट) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)   | आवश्यक नहीं है।  |
| 12— विभाग / जिला प्रोफाइल  | वन विभाग   |
| क— जिले का भौगोलिक क्षेत्र   | 548200 हेठो या 5482.00 वर्ग किमी।  |
| ख— जिले का वन क्षेत्र  | 21532.6661 हेठो  |
| ग— मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र  | 1— 193.9288 हेठो (R. F) 4 मामले<br>2— 316.5949 हेठो (P. F) 133 मामले                   |
| घ— 1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल क्षतिपूरक वनीकरण  | —  |
| 1— दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि   | 809.96 हेठो  |
| 2— वनेतर भूमि पर   | 211.0874 हेठो  |
| ङ— अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति   | —  |
| 1— वन भूमि पर  | 809.96   |
| 2— वनेतर भूमि पर   | 211.0874   |
| 13— प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश   | प्रस्ताव स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।  |

स्थान—प्रयागराज

(अरविन्द कुमार यादव)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।